

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या – 222
दिनांक 04 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

डेयरी क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना को सुदृढ़ करना

***222. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन और दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र में कार्यरत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान उनके अंतर्गत राज्य-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना, शीत श्रृंखला, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों और सहकारी दुग्ध समितियों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव पशुओं के रोगों की रोकथाम करने, गुणवत्तायुक्त पशु आहार उपलब्ध कराने और कृत्रिम गर्भाधान संबंधी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कोई नई योजना कार्यान्वित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“डेयरी क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना को सुदृढ़ करना” के संबंध में दिनांक 04.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार दूध का उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), पशुपालन और डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित और संपूरित करने के लिए पूरे देश में निम्नलिखित योजनाएँ लागू कर रहा है:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)
2. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)
3. डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO)
4. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)
5. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)
6. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)

इन योजनाओं का उद्देश्य बोवाईनों की दूध उत्पादकता में सुधार करना, डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करना, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करना, पशु आहार और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना और पशु स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है। इन पहलों से दूध उत्पादन की लागत कम करने और दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई राशि का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) जून 2026 तक की स्थिति के अनुसार, 'श्वेत क्रान्ति 2.0' के अंतर्गत, NPDD की वित्तीय सहायता से गाँव स्तर पर 36,611 नई डेयरी सहकारी सोसायटियाँ (DCS) बनाई गई हैं और 34,557 DCS को सुदृढ़ किया गया है। प्रतिदिन लगभग 168 लाख लीटर (LLPD) दूध शीतलन क्षमता बनाई गई है और 76,748 गुणवत्ता जांच उपकरण बांटे गए हैं। AHIDF के अंतर्गत, सहकारी और निजी दोनों सेक्टरों में कुल 418 LLPD दूध प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन क्षमता वाली परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।

(घ) मौजूदा योजनाओं में पहले से ही पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण पशु-चारा उपलब्ध कराना और कृत्रिम गर्भाधान सुविधाओं का विस्तार करने की पर्याप्त व्यवस्था है, अतः नई योजना कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

“डेयरी क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना को सुदृढ़ करना” के संबंध में दिनांक 04 अगस्त 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दूध उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता

क्रसं..	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	दूध उत्पादन (आंकड़े मिलियन टन में)			दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता (आंकड़े ग्राम/दिन में)		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	15.45	13.99	13.95	799.00	719.00	716.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.05	0.02	0.03	81.00	35.00	46.00
3	असम	1.01	1.09	1.22	78.00	84.00	92.00
4	बिहार	12.50	12.85	13.40	274.00	277.00	285.00
5	छत्तीसगढ़	1.96	2.12	2.16	180.00	192.00	194.00
6	गोवा	0.06	0.06	0.07	112.00	110.00	117.00
7	गुजरात	17.28	18.31	19.29	670.00	700.00	730.00
8	हरियाणा	11.97	12.22	12.59	1098.00	1105.00	1128.00
9	हिमाचल प्रदेश	1.62	1.75	1.82	596.00	640.00	666.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	2.82	2.87	2.97	572.00	577.00	595.00
11	झारखंड	2.77	3.03	3.11	195.00	209.00	214.00
12	कर्नाटक	12.83	13.46	13.90	523.00	543.00	559.00
13	केरल	2.58	2.58	2.56	198.00	197.00	195.00
14	मध्य प्रदेश	20.12	21.33	22.60	644.00	673.00	707.00
15	महाराष्ट्र	15.04	16.05	16.63	329.00	347.00	358.00
16	मणिपुर	0.07	0.06	0.05	62.00	54.00	41.00
17	मेघालय	0.09	0.10	0.09	77.00	79.00	76.00
18	मिजोरम	0.02	0.03	0.02	55.00	56.00	52.00
19	नागालैंड	0.05	0.05	0.05	61.00	65.00	60.00
20	ओडिशा	2.48	2.64	2.70	148.00	156.00	159.00
21	पंजाब	14.30	14.00	14.87	1283.00	1245.00	1318.00
22	राजस्थान	33.31	34.73	36.74	1138.00	1171.00	1229.00
23	सिक्किम	0.09	0.08	0.09	347.00	321.00	352.00
24	तमिलनाडु	10.32	10.81	11.44	369.00	384.00	407.00
25	तेलंगाना	5.85	5.84	5.94	423.00	419.00	425.00
26	त्रिपुरा	0.23	0.25	0.26	153.00	163.00	173.00
27	उत्तर प्रदेश	36.24	38.78	38.82	426.00	450.00	447.00
28	उत्तराखंड	1.86	1.90	1.96	442.00	446.00	456.00
29	पश्चिम बंगाल	6.97	7.65	7.95	194.00	211.00	219.00
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.02	0.02	117.00	119.00	110.00
31	चंडीगढ़	0.06	0.06	0.06	126.00	131.00	141.00
32	लद्दाख	0.03	0.03	0.02	280.00	267.00	214.00
33	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
34	दिल्ली	0.49	0.49	0.41	64.00	62.00	52.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	16.00	15.00	17.00
36	पुदुचेरी	0.05	0.05	0.06	85.00	83.00	94.00
अखिल भारतीय		230.58	239.30	247.87	459.00	471.00	485.00

अनुबंध-II

“डेयरी क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना को सुदृढ़ करना” के संबंध में दिनांक 04 अगस्त 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित DAHD योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई राशि इस प्रकार है:

राज्य	RGM (करोड़ में)			NPDD (करोड़ में)		
	वर्ष 2023 - 24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	35.38	31.84	15.00	58.97	6.08	115.65
अरुणाचल प्रदेश	19.65	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
असम	7.23	21.63	12.81	0.00	3.36	21.71
बिहार	0.00	0.00	30.00	5.03	15.28	86.78
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	3.84
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	65.43	20.72	76.69	5.74	30.00	12.94
हरियाणा	0.00	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	2.50	3.00	16.98
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	61.20	14.13	24.31	0.00	1.40
झारखंड	0.00	15.00	13.85	1.25	3.80	1.31
कर्नाटक	26.51	0.00	0.00	21.70	15.16	39.99
केरल	65.46	36.98	1.75	12.55	0.00	9.46
लद्दाख	0.00	0.42	0.11	0.00	0.50	11.58
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	49.03	0.00	10.00	24.80	21.93	50.85
महाराष्ट्र	32.62	14.45	6.00	6.92	0.00	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	4.45	3.42	0.00
मिजोरम	8.47	0.00	0.74	0.00	0.00	0.07
नागालैंड	4.66	0.00	9.32	0.00	0.00	0.24
ओडिशा	0.00	16.71	8.96	7.06	0.00	0.00
पुदुचेरी	0.00	2.13	0.50	0.25	4.17	1.54
पंजाब	0.00	0.00	6.98	52.09	88.27	223.92
राजस्थान	2.50	0.00	19.70	45.38	20.24	19.42
सिक्किम	10.98	0.00	13.94	9.50	4.91	4.03
तमिलनाडु	109.96	0.00	15.26	38.53	32.75	23.96
तेलंगाना	31.53	0.00	9.95	25.31	22.94	32.36
त्रिपुरा	0.00	0.00	9.75	6.04	0.30	0.71
उत्तर प्रदेश	96.42	0.00	0.00	57.69	24.94	30.83
उत्तराखंड	60.82	0.00	5.76	7.85	9.44	9.49
पश्चिम बंगाल	65.00	0.00	12.95	0.00	0.00	24.07
कुल	691.66	221.08	322.53	417.93	310.51	743.14

अनुबंध-II जारी/-

अनुबंध-II (जारी)

राज्य	AHIDF (करोड़ में)			SDCFPO (करोड़ में)		
	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	2.95	2.04	6.57	4.48	0.86	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	0.90	1.35	1.75	0.04	0.00	0.00
बिहार	8.18	3.43	2.61	0.68	0.00	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	3.33	5.56	13.31	0.00	0.00	0.00
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.10	1.29	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.64	17.66	37.49	131.85	45.24	0.00
हरियाणा	3.62	8.90	10.02	0.44	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.11	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
जम्मू एवं कश्मीर	0.02	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00
झारखंड	1.80	3.48	2.59	0.24	0.00	0.00
कर्नाटक	7.41	15.25	12.06	5.66	0.69	0.00
केरल	0.17	0.20	0.47	0.00	0.00	0.00
लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	9.37	19.65	12.84	0.69	0.00	0.00
महाराष्ट्र	22.31	31.85	50.47	6.35	1.37	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	0.92	3.91	4.57	0.29	0.00	0.00
पुदुचेरी	0.00	0.13	0.03	0.00	0.00	0.00
पंजाब	3.04	9.45	5.12	2.58	0.00	0.00
राजस्थान	2.85	4.19	4.47	2.41	0.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	22.79	32.00	42.12	1.84	0.01	0.00
तेलंगाना	9.10	14.86	15.54	0.15	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	2.73	14.99	14.82	0.00	0.00	0.00
उत्तराखंड	0.00	0.42	1.10	0.00	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	5.76	4.18	10.61	0.00	0.00	0.00
कुल	108.0	193.7	250.0	157.70	48.17	0.00

अनुबंध II जारी/-

राज्य	अनुबध-II (जारी)					
	LHDCP (करोड़ में)			NLM (करोड़ में)		
	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.85	0.14	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	85.34	76.06	75.96	12.60	7.87	3.68
अरुणाचल प्रदेश	6.21	6.54	6.13	5.74	1.81	3.37
असम	23.00	46.97	54.33	0.00	4.00	3.74
बिहार	2.66	54.82	67.16	0.00	0.00	1.00
चंडीगढ़	0.03	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	6.22	34.89	29.97	0.75	0.50	1.16
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	0.04	0.09	0.05	0.00	0.00	0.00
गोवा	0.80	0.86	0.21	0.00	0.00	0.00
गुजरात	10.88	52.44	46.12	0.00	1.00	2.40
हरियाणा	13.52	27.35	25.44	4.08	9.75	5.71
हिमाचल प्रदेश	0.65	7.86	11.82	0.00	0.00	1.06
जम्मू एवं कश्मीर	18.85	20.37	16.50	1.00	2.50	9.10
झारखंड	0.00	4.60	30.22	0.64	0.00	0.25
कर्नाटक	70.67	61.58	66.13	7.82	7.25	4.00
केरल	5.97	12.24	13.15	0.00	0.50	0.50
लद्दाख	0.60	2.45	2.72	0.00	0.28	2.30
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	48.89	76.13	94.44	3.50	2.50	7.35
महाराष्ट्र	72.33	64.64	48.20	0.65	0.30	0.15
मणिपुर	2.71	4.64	9.49	0.00	1.70	3.01
मेघालय	1.29	7.07	4.22	0.00	0.00	1.14
मिजोरम	2.63	3.59	18.66	2.02	0.00	6.57
नागालैंड	1.15	1.27	4.13	0.50	1.94	3.00
ओडिशा	3.18	12.40	9.99	4.46	2.50	2.50
पुदुचेरी	0.11	0.49	0.56	0.00	0.00	0.40
पंजाब	0.00	3.98	16.80	0.00	0.00	0.00
राजस्थान	6.35	59.69	83.63	0.00	1.00	1.00
सिक्किम	2.51	3.13	3.74	0.93	0.00	9.03
तमिलनाडु	6.45	22.60	40.47	0.00	1.50	2.25
तेलंगाना	0.00	4.00	24.23	0.00	0.50	0.75
त्रिपुरा	0.60	5.73	6.54	1.83	0.00	4.59
उत्तर प्रदेश	192.60	150.76	155.35	1.00	7.71	2.25
उत्तराखंड	19.99	19.57	23.62	1.98	3.06	5.50
पश्चिम बंगाल	36.39	40.35	42.02	0.00	3.02	3.25
कुल	642.62	890.05	1032.16	49.50	61.19	91.01